

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना

पत्रांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-207/2022 - 3338

पटना / दिनांक:- 07/12/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0रो0

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग।

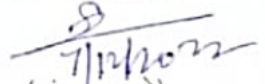
विषय : Biometric Attendance System के आधार पर उपस्थिति विवरणी भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15498, दिनांक-01.09.2022 के द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण (BRRDA) के माध्यम से मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत सहायक लेखा प्रबंधकों, सहायक आई0टी0 प्रबंधकों तथा अन्य कर्मियों की Biometric जनित उपस्थिति विवरणी प्राप्त किया जाना है।

उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखा प्रबंधक, सहायक आई0टी0 प्रबंधक तथा अन्य कर्मियों का Biometric System जनित उपस्थिति विवरणी ब्रांडा कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये ताकि माह-दिसम्बर-2022 के पारिश्रमिक का भुगतान तदालोक में किया जा सके।

विश्वासभाजन


(संजय दूबे)

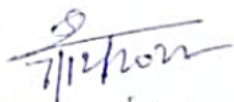
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी -सह-सचिव, ब्रांडा

ज्ञापक:- BRRDA(HQ)- PMGSY-207/2022 - 3338

पटना / दिनांक:- 07/12/2022

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सहायक लेखा प्रबंधकों, सहायक आई0टी0 प्रबंधकों एवं अन्य कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।




अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्रांडा

पत्रांक -3/एम०-60/2022सा0प्र0.1.5.498/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्द्र,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक1-9-2022

विषय— बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए निर्धारित कार्यावधि एवं भोजनावकाश का अनुपालन तथा Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्गिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प झापांक-3450 दिनांक-02.12.2006, संकल्प झापांक-4754 दिनांक-31.12.2007 एवं परिपत्र संख्या-2462 दिनांक-30.04.2008 द्वारा बिहार सरकार के विभागों/कार्यालयों में साप्ताहिक कार्यदिवस एवं कार्य अवधि के संदर्भ में संसूचित निम्नांकित निर्णय सम्प्रति प्रभावी है—

- (क) 05 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले विभागों/कार्यालयों के लिए—
- (i) कार्य अवधि — पूर्वाह्न 09:30 से अपराह्न 06:00 बजे तक (महिला कर्मियों के लिए अपराह्न 05:00 बजे तक)
 - (ii) भोजन अवकाश— अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।
- (ख) 06 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों के लिए—
- (i) कार्य अवधि — पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक (नवम्बर से फरवरी माह तक पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)
 - (ii) भोजन अवकाश— अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।

2. गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्रांक-8986 दिनांक-12.08.2022 द्वारा दिनांक-29.08.2022 से विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचारित किया गया है।



26

3 अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्यदिवस में कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा गृह विभाग (विशेष शाखा) के निदेशानुसार Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश भी अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(Signature)
31.8.2022

(डॉ० बी० राजेन्द्र)

सरकार के प्रधान सचिव।